रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-29082026-275855
SG-DL-E-29082026-275855

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6]	दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 18, 2026/श्रावण 27, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 177
No. 6]	DELHI, TUESDAY, AUGUST 18, 2026/SHRAVAN 27, 1948	[N. C. T. D. No. 177

भाग III
PART III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 जून, 2026

दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए नियम और शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2026

फा. स. 17(17)/Engg./DERC/2023-24/8020/579 – विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42, 61(h), 66, 86(1)(e) के साथ पठित धारा 181 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग एतद्वारा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2024 (इसके बाद "प्रमुख विनियम" के रूप में संदर्भित) में निम्नलिखित संशोधन करता है।

1.0 संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

(1) इन विनियमों को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के लिए नियम एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम दिल्ली राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

(3) ये विनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूरे क्षेत्र में लागू होंगे।

2.0 प्रमुख विनियमों के विनियम 2 (l) में संशोधन

(1) प्रमुख विनियमों के विनियम 2 (l) में, "एन्टिटी" की परिभाषा के अंतर्गत, "11 केवी या उससे अधिक पर कनेक्टेड" शब्द हटा दिए जाएंगे और उक्त परिभाषा अब निम्नानुसार होगी:-

"एन्टिटी" का अर्थ है ऐसा कोई भी उपभोक्ता जिसकी अनुबंधित मांग या स्वीकृत भार सौ (100) किलोवाट या उससे अधिक हो, चाहे एक ही कनेक्शन के माध्यम से या एकाधिक कनेक्शनों के माध्यम से जिसका कुल योग सौ (100) किलोवाट या उससे अधिक हो, जो एक ही वितरण लाइसेंसधारी के आपूर्ति क्षेत्र में स्थित हो, कैप्टिव उपभोक्ताओं को छोड़कर।

प्रावधान है कि डिस्कॉम के साथ उपभोक्ता की अनुबंध मांग/स्वीकृत भार (किलोवाट/मेगावाट, केवीए/ एमवीए) के संबंध में कैप्टिव उपयोग के लिए हरित ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए कोई भार सीमा नहीं होगी;

3.0 प्रमुख विनियमों के विनियम 2(p) में संशोधन

(1) प्रमुख विनियमों के विनियम 2(p) में, "हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ता" की परिभाषा के अंतर्गत, "11 केवी या उससे अधिक पर कनेक्टेड" शब्द हटा दिए जाएंगे और उक्त परिभाषा अब निम्नानुसार होगी:-

"हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस उपभोक्ता" से तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जिसकी अनुबंध मांग या स्वीकृत भार सौ (100) किलोवाट या उससे अधिक है, चाहे वह एक ही कनेक्शन के माध्यम से हो या एकाधिक कनेक्शनों के माध्यम से जिनका कुल भार सौ (100) किलोवाट या उससे अधिक हो, और जो एक ही वितरण लाइसेंसधारी के विद्युत क्षेत्र में स्थित हो, और जिसे लाइसेंसधारी या सरकार द्वारा या उसके स्वयं के कैप्टिव उत्पादन संयंत्र से या विद्युत अधिनियम, 2003 या उस समय लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत जनता को बिजली आपूर्ति करने के व्यवसाय में लगे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हरित ऊर्जा स्रोतों से बिजली की आपूर्ति की जाती है, और इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसका परिसर उस समय हरित ऊर्जा प्राप्त करने के उद्देश्य से लाइसेंसधारी, सरकार या ऐसे व्यक्ति के संयंत्रों से जुड़ा हुआ है।

प्रावधान है कि हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के अंतर्गत विद्युत का लाभ उठाने वाले डिस्कॉम्स के साथ उपभोक्ता की अनुबंध मांग/स्वीकृत लोड (किलोवाट/मेगावाट, केवीए/एमवीए) के संबंध में कैप्टिव उपयोग के लिए हरित ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए कोई भार सीमा नहीं होगी;

4.0 प्रमुख विनियमों के विनियम 8 (a) में संशोधन

(1) मुख्य विनियमों के विनियम 8 (a) में, "11 केवी या उससे अधिक पर कनेक्टेड" शब्द हटा दिए जाएंगे और उक्त विनियम निम्नानुसार पढ़े जाएंगे:-

"वह उपभोक्ता जिसका एकल कनेक्शन या एक ही वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में स्थित एकाधिक कनेक्शनों के माध्यम से सौ (100) किलोवाट या उससे अधिक की अनुबंधित मांग या स्वीकृत भार है, इन विनियमों के अंतर्गत हरित ऊर्जा (नवीकरणीय ऊर्जा) प्राप्त करने के लिए ओपन एक्सेस का पात्र होगा।

प्रावधान है कि यदि किसी उपभोक्ता के पास कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट है, तो डिस्कॉम्स के साथ अनुबंधित मांग/स्वीकृत भार (किलोवाट/मेगावाट, केवीए/एमवीए) के संदर्भ में कोई भार सीमा नहीं होगी।"

ह./-

कुशलकुमार एल. भोसिकर, संयुक्त निदेशक (पीएस एवं ई)

नोट: मुख्य विनियम दिनांक 12 नवंबर, 2024 को रा.रा.क्षे. दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग III में संख्या 247 में प्रकाशित किए गए थे।

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

Delhi, the 17th June, 2026

Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Green Energy Open Access) (First Amendment) Regulations, 2026

F. NO. 17(17)/Engg./DERC/2023-24/8020/579 – In exercise of the powers conferred under Sections 42, 61(h), 66, 86(1)(e) read with Section 181 of the Electricity Act, 2003, the Delhi Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments to the Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Green Energy Open Access) Regulations, 2024 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations").

1.0 Short Title, Extent and Commencement

(1) These Regulations shall be called the Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Green Energy Open Access) (First Amendment) Regulations, 2026.

(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These Regulations shall extend to the whole of National Capital

Territory of Delhi.

2.0 Amendment to Regulation 2 (l) of the Principal Regulations

(1) In Regulation 2 (l) of the Principal Regulations, under the definition of "Entity", the words, "connected at 11kV or above," shall be deleted and the said definition shall now read as under:-

"Entity" means any consumer who has a contracted demand or sanctioned load of Hundred (100) kW or more, either through a single connection or through multiple connections aggregating Hundred (100) kW or more, located in the area of supply of the same Distribution Licensee, except for captive consumers.

Provided that there shall not be any load limitation for setting up of Green energy projects for captive use with respect to the consumer's contract demand/sanctioned load (kW/MW, KVA/MVA) with Discoms;

3.0 Amendment to Regulation 2(p) of the Principal Regulations

(1) In Regulation 2(p) of the Principal Regulations, under the definition of "Green Energy Open Access Consumer" the words, "connected at 11kV or above," shall be deleted and the said definition shall now read as under:-

"Green Energy Open Access Consumer" means any person who has contract demand or sanctioned load of Hundred (100) kW or more, either through single connection or through multiple connections aggregating Hundred (100) kW or more, located in electricity area of a same distribution licensee, who is supplied with electricity from green energy sources for his own use by a licensee or the Government or from its own Captive Generation Plant or by any other person engaged in the business of supplying electricity to the public under the Electricity Act, 2003 or any other law for the time being in force and includes any person whose premises are for the time being connected for the purpose of receiving green energy with the works of a licensee, the Government or such person, as the case may be.

Provided that there shall not be any load limitation for setting up of Green energy projects for captive use with respect to the consumer's contract demand/sanctioned load (kW/MW, KVA/MVA) with Discoms availing power under Green Energy Open Access;

4.0 Amendment to Regulation 8 (a) of principle regulation

(1) In Regulation 8 (a) of the Principal Regulations, the words, "connected at 11kV or above," shall be deleted and the said Regulations shall read as under:-

"The Consumer who has contracted demand or sanctioned load of Hundred (100) KW or more, either through single connection or through multiple connections aggregating Hundred (100) kW or more located in area of a same distribution licensee, shall be eligible for Open Access for sourcing Green Energy (RE) under these Regulations.

Provided that in case of a consumer having Captive Generating Plant, there shall not be any load limitation in terms of contract demand/sanctioned load (kW/MW, KVA/MVA) with Discoms."

Sd/-

KUSHALKUMAR L. BHOSIKAR, Jt. Director (PS & E)

Note: The Principal Regulations were published on 12th November, 2024 in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part III at N.C.T.D. No. 247.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAVINDER KUMAR
Digitally signed by RAVINDER KUMAR
Date: 2026.08.29 13:02:18 +05'30'